पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–28.03.2023

दिनांक 27/28.03.2023 को रात्रि थाना आलमबाग 01, इन्दिरानगर 06 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना इटौंजा 03 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना काकोरी–दिनांक 27.03.2023 को उ0नि0 श्री अमित तोमर थाना काकोरी द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मैकुलाल नि0 वर्तमान पता ईटगांव थाना काकोरी लखनऊ, स्थायी पता सहादतगंज थाना सहादतगंज लखनऊ को ग्राम ईटगांव थाना काकोरी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 16 अदद पौवा देशी शराब व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना काकोरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना जानकीपुरम–दिनांक 28.03.2023 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादी श्री संदीप कुमार पुत्र प्रेम लाल निवासी–ग्राम नेवादा सेक्टर–1 खलीलाबाद थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि दिनांक 26/27.03.2023 की रात्रि करीब 12.00 बजे वादी अपनी गाड़ी मारूति इको नं0 यूपी 32 जेएफ 0865 को अपने उक्त घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। वादी सुबह करीब 05.45 बजे उठा तो देखाा कि वादी की उक्त गाड़ी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है व अजय कुमार पुत्र स्व0 महाराजदीन निवासी–7/77 जानकीपुरम विस्तार लखनऊ की ओमिनी वैन सं0 यूपी 32 एचएन 2594 व गुलजार पुत्र स्व0 इस्माइल निवासी–न्यू फ्रैण्डस कालोनी थाना जानकीपुरम विस्तार लखनऊ की भी मारूति सुजुकी इको नं0 यूपी 57 एबी 9190 को भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0 70/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पीजीआई–दिनांक 28.03.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामपाल निवासी–347/218 पुराना टिकैतगंज थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 19.03.2023 को बैंक ऑफ इण्डिया के एटीएम शाखा तेलीबाग से रूपये निकालने गया तो एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी का एटीएम कार्ड मदद करने के बहाने बदल दिया और दूसरा एसबीआई का एटीएम कार्ड वादी को दे दिया और उक्त अज्ञात व्यक्ति ने धोखे से वादी का पिन नम्बर भी देख लिया। समय करीब 06.00 बजे से 7.00 बजे शाम के बीच वादी के मोबाइल नं0 पर मैसेज आया कि वादी के उक्त एटीएम कार्ड का प्रयोग कर 37,000/–रूपये को निकाल लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 220/2023 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**